E Learning Study Material
By Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VK SUNIVERSITY ARA BIHAR

BA PART THREE ECONOMICS HONS
PAPER SIX

Tariff Policy After First World War, in USA

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शुल्क नीति

अमेरिका में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् सन् 1920 में रिपब्लिकन पार्टी के सत्ताधारी होने पर शुल्क में आमूल परिवर्तन किये जाने की आशा की गयी थी। इस परिवर्तन में दो तत्व महत्वपूर्ण थे, प्रथम तत्व तो कृषि-मंदी थी जिसके कारण कृषक संरक्षण की मांग कर रहे थे। और द्वितीय तत्व उन आर्थिक हितों की आवाज था जो युद्ध काल में प्रज्वलित होने वाले राष्ट्रीयतावाद का उपयोग कर अपनी मांग को प्रबल कर रहे थे और युद्ध द्वारा प्रोत्साहित उद्योगों को संरक्षण देने के लिए हल्ला मचा रहे थे। युद्धोत्तर राशिपातन (Post-war dumping) का निवारण करने और कृषकों की मांग पूरी करने के लिए एक आपात शुल्क (emergency tariff) को कांग्रेस के एक विशिष्ट सत्र (special session) में 27 मई 1921 को स्वीकृत किया गया। सन् 1922 में रिपब्लिकन दल ने संरक्षणात्मक शुल्क दर में और

अधिक वृद्धि कर दी। सन् 1922 का फोर्डने मैकम्बर अधिनियम तथाकथित युद्ध शिशुओं (warbabies) के विशेष का रसायनिक एवं रंजक (dye stuffs) उद्योगों से अधिक संबंधित था।

इसपर रिपब्लिकन पार्टी ने संरक्षणात्मक प्रशुल्क को परिवर्द्धित कर दिया और संयुक्त राज्य में समस्त उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत तथा अन्य प्रतियोगी देशों में उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत के ~~समानीकरण~~ समानीकरण की बुरी नीति को अपनाया इस पार्टी के द्वारा एक सिद्धान्त नमनीय प्रशुल्क (Flexible tariff) का समावेश किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी वस्तु की अमेरिका में उत्पादन लागत और अन्य देशों में उसकी उत्पादन लागत कोई अन्तर आवे तो उस वस्तु से संबन्धित प्रशुल्क दर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाय। इस उद्देश्य से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रशुल्क आयोग की अनुशंसा पर अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक प्रशुल्क में आवश्यकतानुसार वृद्धि या कमी कर सकता है। यह नीति 1930 तक चली।

1930 में हावले स्मूट अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार प्रशुल्क में कुछ वृद्धि की गयी क्योंकि महान मंदी के कारण कृषक इसके लिए मांग कर रहे थे।

—